



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023 / 360(151 / 23)

दर्ज तिथि:-13.12.2023

1. तेजाराम पुत्र प्रेमराम
2. जसराज पुत्र जेठाराम
3. सुखराम पुत्र उदाराम
4. चुकी देवी पत्नी जेठाराम
5. सुण्डी पत्नी प्रेमराम
6. भेराराम पुत्र पेमाराम
7. भाखराराम पुत्र पेमाराम
8. चुनाराम पुत्र पेमाराम
9. भूराराम पुत्र उदाराम
10. लाडु पुत्र जेठाराम

जाति विश्नोई निवासी डेडावास का गोलिया,रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादी

बनाम

1. अणसी पत्नी वरींगाराम
2. सुरताराम पुत्र तुलछाराम
3. सावराराम पुत्र फुसाराम
4. खंगाराराम पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई
5. गंगा देवी पत्नी कृष्णराम जाति कलबी
6. नेनु पत्नी अनाराम जाति कलबी
7. बीरबल पुत्र तुलछाराम जाति विश्नोई

निवासी डेडावास का गोलिया रतनपुरा लुणवा चारणान तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुडामालानी
9. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री मोहनलाल
प्रतिवादीगण:- एक तरफा



:-निर्णय:-

निर्णय तिथि:- 10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 78/26.9682 है0 वाके ग्राम डेडावास का गोलिया रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण में अभिभाषक वादीगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 12.08.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./202/107 दिनांक 14.01.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर वादी द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण को प्रस्तावित विभाजन में सड़क पर हिस्सा नहीं दिया गया है तथा ना ही सड़क से जोड़ा गया है। साथ ही निवेदन किया गया कि वादीगण हेतु सड़क तक 15 फिट रास्ता केवल वादीगण की आराजी में से प्रस्तावित किया गया है। जो कि धोरों वाली भूमि में उतार-चढाव के कारण पर्याप्त नहीं है तथा समस्त वादीगण उक्त रास्ते से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अतः उक्त रास्ते को 30 फिट चौड़ाई

में करते हुए प्रतिवादीगण के खसरा में से रास्ते हेतु भूमि कम की जाकर वादीगण हेतु रास्ता प्रस्तावित किया जावे। तत्पश्चात् उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./202/107 दिनांक 14.01.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - <i>The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</i></p>	<p>प्रकरण में दिनांक 16.12.2024 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1073-91 दिनांक 04.12.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.12.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 1073-91 दिनांक 04.12.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 16.12.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 78/26.9682 है0 वाके ग्राम डेडावास का गोलिया रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। प्रकरण में वादी की बहस है कि वादीगण को प्रस्तावित विभाजन में सड़क पर हिस्सा नहीं दिया गया है तथा ना ही सड़क से जोड़ा गया है। साथ ही निवेदन किया गया कि वादीगण हेतु सड़क तक 15 फिट रास्ता केवल वादीगण की आराजी में से प्रस्तावित किया गया है। जो कि

धोरों वाली भूमि में उतार-चढ़ाव के कारण पर्याप्त नहीं है तथा समस्त वादीगण उक्त रास्ते से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अतः उक्त रास्ते को 30 फिट चौड़ाई में करते हुए प्रतिवादीगण के खसरों में से रास्ते हेतु भूमि कम की जाकर वादीगण हेतु रास्ता प्रस्तावित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की आराजी तक पहुंच हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि केवल वादीगण की आराजी में से कम की जाकर प्रस्तावित की गई है। साथ ही वादीगण हेतु प्रस्तावित रास्ता 15 फिट चौड़ाई में प्रस्तावित किया गया है। अतः अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर वादीगण हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि में से बराबर-बराबर हिस्से में कम किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित चौड़ाई को 15 फिट के स्थान पर 24 फिट किया जाना उचित प्रतीत होता है। उसी अनुसार वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से में से आराजी कम की जावे। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये

हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काशतकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 78/26.9682 है0 वाके ग्राम डेडावास का गोलिया रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गंगादेवी पत्नी कृष्णराम हि0 1/2 नेनूदेवी पत्नी अनाराम हि0 1/2 जाति कलबी सा0 देवदा का गोलिया तह0 बागोड़ा खातेदार	डेडावास का गोलिया	78	6.6672	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 6.6672 है0				
पाबुदेवी पत्नी कालाराम हि0 पूर्ण जाति रैबारी (देवासी) सा0 देह खातेदार	डेडावास का गोलिया	78	6.6671	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 6.6671 है0				
अणसीदेवी पत्नी वरींगाराम हि0 1245/7408 खंगाराराम पुत्र तुलछाराम हि0 6163/66672 बीरबलराम पुत्र तुलछाराम हि0 6163/66672 सुरताराम पुत्र तुलछाराम हि0 6163/66672 चुकीदेवी पत्नी जेठाराम हि0 685/44448 जसराज पुत्र जेठाराम हि0 685/44448 लाडूराम पुत्र जेठाराम हि0 685/44448 चुनाराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 तेजाराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 भैराराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 भाखराराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 सुण्डी पत्नी प्रेमा हि0 6163/133344 भूराराम पुत्र उदाराम हि0 2311/16668	डेडावास का गोलिया	78	13.3344	बा0सो0

सुखराम पुत्र उदाराम हि0 2311 / 16668 जाति विश्नोई सा0 लूणवा चारणान खातेदार रहन:-खंगाराराम, सुरताराम, चूकीदेवी, लाडूराम, तेजाराम, भैराराम, भाखराराम का पूर्ण हिस्सा एसबीआई शाखा गुडामालानी				
कुल किता 01 रकबा 13.3344 है0				
गै0मु0 रास्ते हेतु प्रस्तावित (राजस्थान सरकार)	डेडावास का गोलिया	78	0.2995	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2995 है0				
नोट:-वादीगण हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि में से बराबर-बराबर हिस्से में कम किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित चौड़ाई को 15 फिट के स्थान पर 24 फिट किया जाना उचित प्रतीत होता है। उसी अनुसार वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से में से आराजी कम की जावे।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाडमेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2023 / 360(151 / 23)

दर्ज तिथि:-13.12.2023

1. तेजाराम पुत्र प्रेमराम
2. जसराज पुत्र जेठाराम
3. सुखराम पुत्र उदाराम
4. चुकी देवी पत्नी जेठाराम
5. सुण्डी पत्नी प्रेमराम
6. भेराराम पुत्र पेमाराम
7. भाखराराम पुत्र पेमाराम
8. चुनाराम पुत्र पेमाराम
9. भूराराम पुत्र उदाराम
10. लाडु पुत्र जेठाराम

जाति विश्णोई निवासी डेडावास का गोलिया,रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर।

.....वादी

बनाम

1. अणसी पत्नी वरींगाराम
2. सुरताराम पुत्र तुलछाराम
3. सावराराम पुत्र फुसाराम
4. खंगाराराम पुत्र तुलछाराम जाति विश्णोई
5. गंगा देवी पत्नी कृ णराम जाति कलबी
6. नेनु पत्नी अनाराम जाति कलबी
7. बीरबल पुत्र तुलछाराम जाति विश्णोई

निवासी डेडावास का गोलिया रतनपुरा लुणवा चारणान तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर

.....असल प्रतिवादीगण

8. गाखा प्रबंधक एसबीआई गाखा गुडामालानी तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:- श्री मोहनलाल
प्रतिवादीगण:- एक तरफा

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई नि षेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 78/26.9682 है0 वाके ग्राम डेडावास का गोलिया रतनपुरा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रवि टया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
गंगादेवी पत्नी कृष्णराम हि0 1/2 नेनूदेवी पत्नी अनाराम हि0 1/2 जाति कलबी सा0 देवदा का गोलिया तह0 बागोड़ा खातेदार	डेडावास का गोलिया	78	6.6672	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 6.6672 है0				
पाबुदेवी पत्नी कालाराम हि0 पूर्ण जाति रैबारी (देवासी) सा0 देह खातेदार	डेडावास का गोलिया	78	6.6671	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 6.6671 है0				
अणसीदेवी पत्नी वरींगाराम हि0 1245/7408 खंगाराराम पुत्र तुलछाराम हि0 6163/66672 बीरबलराम पुत्र तुलछाराम हि0 6163/66672 सुरताराम पुत्र तुलछाराम हि0 6163/66672 चुकीदेवी पत्नी जेठाराम हि0 685/44448 जसराज पुत्र जेठाराम हि0 685/44448 लाडूराम पुत्र जेठाराम हि0 685/44448 चुनाराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 तेजाराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 भैराराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 भाखराराम पुत्र प्रेमराम हि0 6163/133344 सुण्डी पत्नी प्रेमा हि0 6163/133344 भूराराम पुत्र उदाराम हि0 2311/16668 सुखराम पुत्र उदाराम हि0 2311/16668 जाति विश्नोई सा0 लूणवा चारणान खातेदार रहन:-खंगाराराम, सुरताराम, चुकीदेवी, लाडूराम, तेजाराम, भैराराम, भाखराराम का पूर्ण हिस्सा एसबीआई शाखा गुडामालानी	डेडावास का गोलिया	78	13.3344	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 13.3344 है0				

गै0मु0 रास्ते हेतु प्रस्तावित (राजस्थान सरकार)	डेडावास का गोलिया	78	0.2995	गै0मु0 रास्ता
कुल किता 01 रकबा 0.2995 है0				
नोट:-वादीगण हेतु प्रस्तावित रास्ते की भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की भूमि में से बराबर-बराबर हिस्से में कम किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित चौड़ाई को 15 फिट के स्थान पर 24 फिट किया जाना उचित प्रतीत होता है। उसी अनुसार वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी के हिस्से में से आराजी कम की जावे।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाडमेर

सत्यमेव जयते

गुढामालानी